319

427

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा ,

कैम्प • प्र • ।

C.F.
Rs. 20/-

विलोपित/विलोपित

COURT FEE 20 Rs. INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री विपुल शील मिश्रा एड. द्वारा आज दिनांक 26-5-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
कैम्प कोर्ट रीवा

R-1922-II/14

शिव चरित्र तिवारी तनय रामावतार तिवारी उम्र 66 वर्ष, पेशा खेती , निवासीग्राम गांजर, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)

———————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. विक्रमा प्रसाद त्रिपाठी तनय भैरव प्रसाद त्रिपाठी
2. रामदास कोल तनय कोलई कोल
3. धनई कोल तनय राममिलन कोल
4. जगदीश चर्मकार तनय केमला चर्मकार
5. भोरई कोल तनय जगन्नाथ कोल
6. कताहुर तनय मैका चर्मकार

सभी निवासीग्राम गांजर , थाना एवं तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)

7. मध्य प्रदेश शासन जरिए कलेक्टर महोदय सीधी

———————— गैर निगरानीकर्तागण

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.3.2014 जो न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी (म.प्र.) के प्र.क्र. 466/निगरानी/2011-2012 में पारित किया है तथा जिसके द्वारा निगरानीकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 2 ता 6 द्वारा प्रस्तुत निगरानी को म्यादके बाहर मानकर निरस्त करदिया है ।

Order Reserved 04/6/16 Marhi 26/5/2014

(319)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1977-II / 14** जिला–सीधी

शिवचरित तिवारी / विक्रमा प्रसाद त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पियूषशील मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 466 / निगरानी / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	